संख्या—भा.स.157 / 14—2—2017—800(83) / 2017

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग—2 **लखनऊ, दिनांक 18 अगस्त, 2017**

विषय :— मिर्जापुर में उ0प्र0 पावर ट्रासमिशन कार्पोरेशन लि0 द्वारा 132 के0वी0 जिगना दादर कला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 6.5475 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या—8बी / 06 / 50 / 2017 / एफसी / 76 दिनांक 14.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2— विषयगत प्रकरण में प्रस्ताव की 02 प्रतियां भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 14.08.2017 में अंकित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : प्रस्ताव की 02 प्रति।

भवदीय,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

Data D. SO.Nodal.GO